बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सवे0लि0/फर्जी अभिलेख)–22/2023 8666 पटना, दिनांक :– 27/10/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 610 दिनांक 13.09.2023 द्वारा श्री अनुराग कुमार पासवान, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01862) के विरूद्ध दिनांक 04.07.2023 से प्रतिवेदित तिथि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय पत्रांक 5415 दिनांक 03.07.2023 द्वारा इन्हें फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनका संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

आरोपित श्री कुमार के द्वारा संविदा नियोजन के समय समर्पित प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4940 दिनांक 31.12.2021 द्वारा भेजा गया है, जिसके क्रम में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक C/00671 दिनांक 08.06.2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी (FALSE) है। एतद संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरांत आरोपित से निदेशालय पत्रांक 5415 दिनांक 03.07.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित के द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें पुनः जांच कराए जाने की बात अंकित की गयी है। इसी बीच संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि माननीय भूलवश प्रमाण पत्रों को असत्य करार दिया गया था। संदेहास्पद सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप इनके प्रमाण पत्रों के जांच संदर्भ में समाहर्त्ता, सारण से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अब तक अप्राप्त है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आरोपित के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय स्तर से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग करने के उपरांत ही दिनांक 04.07.2023 से कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपित को जैसे ही अपने प्रमाण पत्र के फर्जी होने की भनक मिली है, उसके उपरांत ही बगैर सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित हो गये हैं। साथ ही बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाने वाला कार्य है, जिसके लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित है। ऐसे में लगभग साढ़े तीन माह से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से लक्ष्य बाधित हुआ है। निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त करने एवं अन्य संविदा कर्मियों पर इस तरह के कृत्य के प्रभाव को रोकने के दृष्टिगत तत्काल इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4) के आलोक में श्री अनुराग कुमार पासवान, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01862) का संविदा नियोजन अनाधिकृत अनुपस्थिति की तिथि अर्थात दिनांक 04.07.2023 से समाप्त किया जाता है।

साथ ही चूंकि इनके प्रमाण पत्र के सत्यापन का अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है, अतः जांच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, तो इनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई करने हेतु पत्र निर्गत किया जायेगा।

(जय सिंह) 27/10/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सवे0लि0/फर्जी अभिलेख)–22/2023 8666 पटना, दिनांक :– 27/10/2023

प्रतिलिपि :– श्री अनुराग कुमार पासवान, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01862), बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 27/10/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सवे0लि0/फर्जी अभिलेख)–22/2023 8666 पटना, दिनांक :– 27/10/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सवे0लि0/फर्जी अभिलेख)–22/2023 8666 पटना, दिनांक :– 27/10/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री अनुराग की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप